A

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम0 के0 सिंह
सदस्य

निगरानी क्रमांक 879–दो/2004 – विरूद्ध आदेश दिनांक 02–07–2004 पारित व्दारा – बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर– प्रकरण क्रमांक 05/1993–94 अपील

जसबन्त सिंह उर्फ जसरथ सिंह
पुत्र चन्दनसिंह मिर्धा ग्राम रामपुरा
तहसील गोहद, जिला भिण्ड ---आवेदक

विरूद्ध

1– बाबू सिंह (अब मृतक) पुत्र महाराजसिंह मिर्धा
वारिस
अ– श्रीमती कोकिला पत्नि स्व. बाबूसिंह
ब– सुखलाल स– बेदराम द– मायाराम
पुत्रगण स्व. बाबूसिंह निवासी ग्राम रामपुरा
तहसील गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
इ– श्रीमती मीरा पुत्री स्व. बाबूसिंह
पत्नि निहाल सिंह निवासी ग्राम अजयगढ़
तहसील डबरा जिला ग्वालियर
2– अजमेर सिंह पुत्र महाराज सिंह मिर्धा
निवासी ग्राम रामपुरा तहसील गोहद, भिण्ड
3– भॅवरसिंह(अब मृतक) पुत्र बद्रीसिंह मिर्धा
वारिस
बादशाह सिंह पुत्र स्व. भॅवरसिंह निवासी ग्राम
माधौगढ़ तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र. ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एम.पी.भटनागर)
(अनावेदक क्र.1 वारिसान के अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल)
(अनावेदक क्र. 3 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 8 – 10 – 2015 को पारित)

यह निगरानी बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 05/1993–94 अपील में पारित आदेश दिनांक 02–07–2004 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है ग्राम रामपुरा स्थित खाता कमांक 81 पर कुल किता 6 कुल रकबा 5.162 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया है) भूमि उभय पक्ष के नाम संयुक्त रूप से शासकीय अभिलेख में दर्ज रही। सहायक बंदोवस्त अधिकारी गोहद के यहां पंचनामा दि. 28-6-1987 प्रस्तुत कर बटवारे की मांग रखी गई, जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि में हिस्सा 1/6 यान 0.860 है. भूमि जसबंत सिह की है। इसी में से पंचनामा दि. 28-6-87 के अनुसार जसबंत सिंह ने 3 वीघा भूमि बाबू सिंह को देना बताया गया तथा शेष 01 वीघा भूमि जसबंत सिंह की रही। इसी पंचनामे को आधार मानकर दि. 29-5-89 को पक्षकारों के बीच बटवारा हुआ। इस बटवारे पर आवेदक ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी गोहद के यहां दि. 23-4-91 को आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि पंचनामे पर उसका निशानी अंगूठा नहीं है क्योंकि उसका सहीनाम जसबंत उर्फ जसरथ है और वह जसरथ नाम से हस्ताक्षर करता है। निशानी अंगूठा लगाने एंव पंचनामा दि. 28-6-87 बनाने का षड़यॅत्र बाबूसिंह का होना बताते हुये फर्जी कार्यवाही करने की आपत्ति की गई एंव बटवारा निरस्त करने की मांग रखी। सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने प्र.क्र. 01 अ-46/1991-92 दर्ज किया तथा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई प्रारंभ की । सुनवाई के दौरान बाबूसिंह एंव जसबंतसिंह के हस्ताक्षरित आवेदन 6-1-92 प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि आदेश दिनांक 29-5-1989 पर आपत्ति दि. 23.4.2001 प्रस्तुत की गई है वह गलत है एंव बटवारे पर कोई आपत्ति नहीं है। इस आवेदन पत्र पर से सहायक बंदोवस्त अधिकारी, गोहद ने आदेश दिनांक

6-1-1992 पारित कर प्रकरण समाप्त करते हुये पूर्व में पारित बटवारा आदेश दिनांक 29-5-1989 को स्थिर रखा।

सहायक बंदोवस्त अधिकारी के प्र.क्र. 01-अ-46/ 91-92 में पारित आदेश दि. 6-1-1992 के विरूद्ध जसबंत सिंह ने प्रथम अपील बंदोवस्त अधिकारी, भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्र. क्र. 6/1993-94 अपील में पारित आदेश दि.31-1-94 से सहायक बंदोवस्त अधिकारी का आदेश दिनांक 6-1-1992 निरस्त कर दिया तथा भूमि के सम्बन्ध में बंदोवस्त के पूर्व की स्थिति अभिलेख में कायम रखने के आदेश दिये।

बंदोवस्त अधिकारी, भिण्ड के प्र.क्र. 6/1993-94 अपील में पारित आदेश दि. 31-1-1994 के विरूद्ध द्वित्तीय अपील बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत होने पर प्र. क्र. 05/1993-94 अपील में पारित आदेश दि. 2-7-04 से अपील स्वीकार कर बंदोवस्त अधिकारी, भिण्ड का आदेश दि. 31-1-1994 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदक एंव अनावेदक क्र 1 एंव अनावेदक कमांक 2 के वारिसान के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्र-3 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक एंव अनावेदक क्र 1 एंव अनावेदक कमांक 2 के वारिसान के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के अवलोकन से एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि विचारण न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय एंव द्वित्तीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष आवेदक व्दारा बार-बार यही दोहराया गया है कि पंचनामा दिनांक 28-6-87

साजिसन् है एंव उस पर आवेदक के फर्जी हस्ताक्षर हैं तथा इसी पंचनामे के आधार पर आदेश दिनांक 29.5.89 पारित कर बटवारा किया गया है जो गलत है। आपत्ति आवेदन दिनांक 23-74-91 पर से सहायक बंदोवस्त अधिकारी, गोहद के यहॉ प्रकरण कमांक 1 अ 46 /19-92 दर्ज हुआ है एंव कार्यवाही प्रारंभ हुई है इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान आवेदक एंव अनावेदक क-1 (मृतक) की ओर से आवेदन दिनांक 6-1-92 प्रस्तुत कर बताया गया कि बटवारा आदेश दिनांक 29.5.899 पर आपत्ति आवेदन दिनांक 23.4.01 दिया गया है उसे गलत माना जावे और इसी आवेदन को आधार मानकर सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने आदेश दिनांक 6-1-1992 से प्रकरण समाप्त किया है। इस आदेश के विरूद्व जसबंत सिंह ने बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत अपील कमांक 15/91-92 की अपील मेमो के पद एक में इस प्रकार अंकन किया है -

अदालत मातहत सहायक बंदोवस्त अधिकारी गोहद दल कमांक 2 के यहां अपीलांट के सहखातेदार रिस्पा0गण व्दारा प्रार्थना पत्र वावत् बटवारा प्रस्तुत किया और प्रार्थी को वगैर विधिवत् सूचना दिये अपने किसी मेली व्यक्ति को खड़ा करके अपीलांट के विरूद्व आदेश पारित करने की योजना बनाई।

अपील पद दो का अंश विवरण इस प्रकार है -

कुछ समय पश्चात् रिस्पा0गण व्दारा प्रार्थी के नाम का फर्जी वगैर प्रार्थी (अपी.)की जानकारी के किसी व्यक्ति से आपसी राजीनामा लिखाकर पेश कर एकपक्षीय तौर पर प्रार्थी के विरूद्व आदेश दिनांक 6-1-92 को पारित करा लिया।

प्रथम अपील में बंदोवस्त अधिकारी, भिण्ड के समक्ष सुनवाई हुई, बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड ने प्र.क. 6/1993-93 अपील में पारित आदेश दि. 31-1-1994 के पैरा 2 में इस प्रकार अंकित है :-

*मेरे व्दारा आवेदक श्री जसबंत सिंह व अनावेदकों सर्व श्री भॅवरसिंह,

बाबूसिंह एंव श्री अजमेर सिंह से पूछा गया तो उन्होंने यह बताया कि बंदोवस्त के पूर्व वे जिन जमीन पर काविज थे, वे अभी भी उसी जमीन पर काविज हैं। बंदोवस्त के दौरान दि. 28-6-87 के पंचनामा के आधार पर जो उन्होंने जमीनों की प्रविष्टि अभिलेख में की गई है, उससे वे संतुष्ट नहीं हैं एंव दि. 28-6-87 के पंचानामा को वे संदिग्ध मानते हैं।*

अर्थात बंदोवस्त अधिकारी का आदेश दिनांक 31-1-1994 उभय पक्ष से समक्ष में पुष्टिकृत कर पारित किया गया है और ऐसा आदेश भौतिक सत्यापन पर आधारित होने से विश्वनीयता लिये है किन्तु बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 05/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 02-07-2004 में वास्तविकता के विपरीत जाकर अर्थ निकालते हुये बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड के यथार्थ पर आधारित आदेश दिनांक 31-1-1994 को निरस्त करने में भूल की है, जिसके कारण बंदोवस्त आयुक्त का आदेश दि. 2-7-04 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 05/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 02-07-2004 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः बंदोवस्त अधिकारी, भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-1-1994 स्थिर रहने के फलस्वरूप सहायक बंदोवस्त अधिकारी गोहद का आदेश दिनांक 29-5-89 निरस्त होने से वादग्रस्त भूमियों पर बंदोवस्त के पूर्व की स्थिति कायम रहती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर